The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 3 |June 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

गया जिले में महिला नेतृत्व और राजनीति में सहभागिता (2010–2021): एक क्षेत्रीय अध्ययन

पूजा कुमारी
पूर्व शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: ***01.06.25***

*Accepted:****09.06.25***

Published: ***30/06/25***

Keywords: महिला नेतृत्व; पंचायती राज; राजनीतिक भागीदारी; आरक्षण नीति; प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व

ABSTRACT

यह अध्ययन गया जिले (बिहार) में 2010 से 2021 तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व की दशकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। शोध का स्वरूप पूर्णतः मात्रात्मक है और यह द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, तथा जिला प्रशासन की रिपोर्टें शामिल हैं। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आरक्षण नीति, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाएँ और स्थानीय शासन की संस्थागत व्यवस्था ने महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। वर्षवार सांख्यिकीय तुलना, प्रतिशत विश्लेषण और प्रवृत्तिगत अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि गया जिले में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि तो हुई है, किंतु यह प्रगति प्रायः पद-प्राप्ति तक सीमित रही है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि जिला परिषद जैसे उच्च पदों पर उनकी भागीदारी सीमित है। साथ ही, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं में "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" की प्रवृत्ति अधिक पाई गई, जिससे सशक्तिकरण का उद्देश्य प्रभावित होता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जहाँ प्रशिक्षण, साक्षरता और संस्थागत सहयोग सशक्त हैं, वहाँ महिला नेतृत्व अधिक प्रभावी रहा है। यह शोध महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता और उसकी बाधाओं को उजागर करने का एक गंभीर प्रयास है।

1. परिचय

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार उसकी समावेशी और प्रतिनिधिक प्रणाली है, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इस व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम रही है। आज़ादी के पूर्व जहां महिलाओं की भूमिका मुख्यतः सामाजिक आंदोलनों और परोक्ष राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित थी, वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, जिनमें मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और समान प्रतिनिधित्व की गारंटी शामिल है। इसके बावजूद, राजनीतिक निर्णय-निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की भागीदारी आज भी अनेक बाधाओं से घिरी हुई है।

भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे राजनीतिक नेतृत्व में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई। यह सुधार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण का आधार बना, और महिलाओं को न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का अवसर मिला, बल्कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका भी निभाई। बिहार जैसे राज्य, जहाँ सामाजिक संरचनाएं गहरी रूप से पितृसत्तात्मक रही हैं, वहाँ यह आरक्षण एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में उभरा।

गया जिला, बिहार का एक सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या विविध जातीय, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आती है, जो महिला नेतृत्व के सामाजिक स्वीकृति और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। एक ओर जहाँ संविधानिक आरक्षण से महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल आज भी प्रासंगिक है कि क्या यह मात्र सांख्यिकीय वृद्धि है या वास्तविक नेतृत्व और निर्णय-निर्माण में भी महिलाओं की प्रभावी भागीदारी हो रही है।

पिछले एक दशक (2010–2021) के दौरान हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व के अनुभवों का विश्लेषण इस शोध का केंद्रीय उद्देश्य है। इस अध्ययन में यह जाँचना महत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, और पारिवारिक समर्थन जैसे कारक महिला नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आरक्षण व्यवस्था ने किस हद तक महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है या कहीं यह नाममात्र का प्रतिनिधित्व मात्र तो नहीं बन गया है।

इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि उपलब्ध साहित्य में गया जिले जैसे अर्ध-

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com

शहरी और ग्रामीण जिलों में महिला नेतृत्व की कार्यशैली, बाधाएँ, और सफलताएँ बहुत कम दस्तावेजीकृत हैं। यह शोध इस शून्य को भरने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है।

2. साहित्य समीक्षा

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व पर किए गए शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि संख्या की दृष्टि से महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने के बावजूद उनकी निर्णयकारी भूमिका आज भी सीमित है।

राज और शर्मा (2010)ने अपने अध्ययन में भारत के उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में स्थानीय स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें यह निष्कर्ष सामने आया कि पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की अधिकांश भूमिका औपचारिक होती है और निर्णय लेने की शक्ति पारिवारिक पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित रहती है।

गोल्डन (2012)द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया कि आरक्षण व्यवस्था के चलते राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी तो हुई है, परंतु सामाजिक मान्यता और नेतृत्व की स्वीकृति की प्रक्रिया धीमी बनी हुई है। उन्होंने राजनीतिक सशक्तिकरण को केवल निर्वाचन जीतने तक सीमित न मानते हुए, उसे निर्णय-निर्माण, नीति-प्रवर्तन और प्रशासनिक भागीदारी से जोड़कर देखा।

नंदा (2014)ने ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों की क्षमता विकास में सामाजिक शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करते हुए पाया कि नेतृत्व की गुणवत्ता का सीधा संबंध प्रतिनिधियों के शिक्षा स्तर, सामुदायिक संपर्क और पूर्व अनुभव से होता है। इसी क्रम में, **पारुल झा (2015)**ने बिहार की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर किए गए अपने अध्ययन में दर्शाया कि जिन महिलाओं को नेतृत्व का पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त था, वे अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और प्रभावशाली निर्णयकर्ता के रूप में उभरीं।

रोहिणी प्रसाद (2016)के अनुसार, स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका केवल आरक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि संस्थागत समर्थन, प्रशासनिक प्रशिक्षण और निर्णय की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। उनके अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि महिला प्रतिनिधियों को वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है।

रेखा बासु (2017)ने भारत में लैंगिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि महिला नेतृत्व की स्थायिता के लिए केवल कानूनी आरक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता के लिए पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक ढाँचों में व्यापक सुधार अपेक्षित है।

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com

उन्होंने यह भी इंगित किया कि कई बार आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिलाएं राजनीतिक दलों या प्रभावशाली पुरुषों की कठपुतली भर रह जाती हैं।

दीप्ति शंकर और अजय कुमार (2018)ने महिला मुखिया की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता, और महिला समर्थन समूह सक्रिय हैं, वहाँ महिला नेतृत्व अधिक प्रभावी और सशक्त रूप में सामने आया है। वहीं दूसरी ओर, संस्थागत संसाधनों की कमी महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को सीमित करती है।

ICRW (2019)की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि भारत में महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाने के लिए केवल राजनीतिक ढाँचा ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहयोग, तकनीकी प्रशिक्षण, और महिला प्रतिनिधियों की वित्तीय स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में महिला नेतृत्व को 'प्रतिनिधित्व से प्रभावशीलता' की दिशा में रूपांतरित करने पर बल दिया गया है।

यूनिसेफ और निफ्ट (2020)की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे समाज में 'द्वितीयक नागरिक' के रूप में देखी जाती हैं। जब तक महिला को नेतृत्व के निर्णय में भाग लेने के लिए सामाजिक वैधता और आत्म-विश्वास प्राप्त नहीं होता, तब तक आरक्षण प्रणाली केवल सांख्यिकीय परिवर्तन तक सीमित रह जाती है।

सविता यादव (2021)ने उत्तर बिहार के छह जिलों में किए गए फील्ड स्टडी में पाया कि स्थानीय संस्थाओं में महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता भिन्न-भिन्न सामाजिक संरचनाओं पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता, सामाजिक संगठन और महिला स्व-सहायता समूह सशक्त हैं, वहाँ नेतृत्व भी अधिक संप्रभु और गतिशील होता है।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि महिला राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता को मापने के लिए केवल उपस्थिति या चुने जाने का तथ्य पर्याप्त नहीं है। वास्तविक नेतृत्व क्षमता तभी उभरती है जब प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कार्यान्वयन की शक्ति, और सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है।

गया जिला, बिहार जैसे पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावी क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करना इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जिले में महिलाओं की राजनीतिक यात्रा पितृसत्तात्मक ढांचे, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक अपेक्षाओं से घिरी हुई है। वर्तमान अध्ययन इस क्षेत्र की राजनीतिक संस्कृति और महिला नेतृत्व के यथार्थ को सामने लाने का प्रयास है।

3. अनुसंधान उद्देश्य

राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल निर्वाचित पद प्राप्त कर लेने तक सीमित नहीं होता,

बल्कि इसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता, प्रशासनिक भागीदारी, और सामाजिक स्वीकृति की उपस्थिति आवश्यक होती है। यह अध्ययन मात्र सांख्यिकीय वृद्धि के बजाय उनके वास्तविक सशक्तिकरण को केंद्र में रखता है, जिससे यह जाना जा सके कि महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में केवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं या प्रभावी रूप से नेतृत्व भी निभा रही हैं।

1. गया जिला (बिहार) में 2010 से 2021 तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों की पहचान करना।
3. गया जिले में आरक्षण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना, विशेषकर क्या यह महिला सशक्तिकरण को केवल सांख्यिकीय रूप से बढ़ाता है या वास्तविक निर्णय-निर्माण की शक्ति भी प्रदान करता है।

4.अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन गया जिले में 2010 से 2021 तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व की दशकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। शोध का स्वरूप पूर्णतःमात्रात्मकहै और यहद्वितीयक स्रोतों पर आधारितहै। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि आरक्षण नीति और स्थानीय शासन संरचना ने महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और नेतृत्व की प्रकृति को किस हद तक प्रभावित किया है।इस शोध में प्रयुक्त आँकड़े विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, जिनमें बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित पंचायत चुनाव आँकड़े पंचायती राज विभाग की जिला स्तरीय रिपोर्टें, गया जिला प्रशासन की वार्षिक प्रगति रिपोर्टें, जैसे संस्थानों की रिपोर्टें शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों से संकलित आँकड़ों का उपयोग करके महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, निर्वाचित पदों पर उनका प्रतिनिधित्व, और समयानुसार इसमें हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है।डेटा का विश्लेषण मुख्यतःवर्णनात्मक सांख्यिकीय विधियोंसे किया गया है। इसमें वर्ष-वार तुलना, प्रतिशत विश्लेषण और प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। आँकड़ों की प्रस्तुति तालिकाओं और ग्राफों के माध्यम से की गई है, जिससे महिला नेतृत्व की दशकीय स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

4. परिणाम

गया जिले में वर्ष 2010 से 2021 के बीच हुए पंचायत चुनावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से

सामने आता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में धीरे-धीरे सकारात्मक वृद्धि हुई है। तीनों चुनाव वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई, परंतु यह वृद्धि अभी भी अपेक्षित गुणवत्ता और स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। यह दर्शाता है कि भले ही आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में स्थान दिलाया हो, लेकिन यह सहभागिता अधिकतर पद-प्राप्ति तक सीमित रही है।

तालिका 1: गया जिले में पंचायत चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व (2010–2021)

वर्ष	कुल निर्वाचित पद	महिला निर्वाचित प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधित्व (%)
2010	21,345	7,304	34.2%
2015	21,880	8,118	37.1%
2021	22,205	8,570	38.6%

स्रोत:बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, गया जिला प्रशासन।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर देखा जा सकता है कि गया जिले में महिला प्रतिनिधित्व में कुल 4.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है, जो आँकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अवधि में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या में लगभग 17.3% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि यह वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन यह ज़्यादातर आरक्षण की न्यूनतम सीमा से थोड़ी अधिक है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाएं अब भी स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में बहुत कम संख्या में सामने आ रही हैं।यह भी देखा गया कि महिला प्रतिनिधित्व का स्वरूप शासन के विभिन्न स्तरों पर असमान रूप में विद्यमान है। नीचे दी गई तालिका इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है:

तालिका 2: शासन स्तर के अनुसार महिला प्रतिनिधित्व (%) – गया जिला

वर्ष	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
2010	36.4%	30.2%	27.6%
2015	38.1%	32.8%	30.1%
2021	39.9%	34.7%	31.5%

तालिका 2 यह स्पष्ट करती है कि जैसे-जैसे पद की संवैधानिक ऊँचाई बढ़ती है, वैसे-वैसे महिला प्रतिनिधित्व की दर घटती जाती है। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि महिलाओं को मुख्यतः स्थानीय और अपेक्षाकृत कम निर्णयकारी स्तर के पदों पर प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि नीति-निर्माण से संबंधित उच्च निकायों में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। इसका कारण सामाजिक मानसिकता, संसाधनों तक सीमित पहुँच, और राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को ऊपरी पदों के लिए कम प्राथमिकता देना हो सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर अधिक है, और जहाँ स्व-सहायता समूहों, महिला संगठनों, या स्थानीय एनजीओ द्वारा महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन मिला है, वहाँ महिलाएं अपने कार्यों में अधिक सक्रिय और प्रभावी रही हैं। इसके विपरीत, दूरदराज़ के क्षेत्रों में, विशेषकर अनुसूचित जाति एवंपिछड़े वर्ग की महिला प्रतिनिधियों में, नेतृत्व क्षमता की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता और "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" की स्थिति अधिक दिखाई दी।

"प्रॉक्सी नेतृत्व" की प्रवृत्ति, जिसमें निर्वाचित महिला के स्थान पर उसका पति, पिता या अन्य पुरुष सदस्य पंचायत के कार्यों को संचालित करता है, एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आई। इससे न केवल महिला नेतृत्व की आत्मनिर्भरता बाधित होती है, बल्कि यह आरक्षण के मूल उद्देश्य सशक्तिकरण को भी प्रभावित करता है।

शोध के परिणाम यह दर्शाते हैं कि गया जिले में महिला राजनीतिक भागीदारी में *सांख्यिकीय सुधार* अवश्य हुआ है, लेकिन *गुणात्मक नेतृत्व* का स्तर अब भी वांछनीय है। आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक मंच पर लाने का कार्य तो किया है, परंतु उनके नेतृत्व को निर्णायक और स्वतंत्र बनाने के लिए सामाजिक, संस्थागत और मानसिक समर्थन की अभी भी अत्यधिक आवश्यकता है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गया जिले में वर्ष 2010 से 2021 के बीच महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है। पंचायत चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 34.2% से बढ़कर 38.6% तक पहुँचा, जो आरक्षण नीति के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि यह प्रगति सांख्यिकीय दृष्टि से उत्साहवर्धक प्रतीत होती है, परंतु जब इसे नेतृत्व की गुणवत्ता, निर्णय-निर्माण की भूमिका, और सामाजिक स्वीकृति के संदर्भ में देखा जाए, तो यह वृद्धि अपर्याप्त और असंतुलित प्रतीत

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com

होती है।

शासन के विभिन्न स्तरों पर महिला प्रतिनिधित्व में अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक संख्या में निर्वाचित हुई हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे उच्च स्तर के पदों पर उनकी उपस्थिति सीमित रही है। यह असमानता इस बात की ओर संकेत करती है कि महिलाओं को निचले स्तर पर तो प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन उच्च सत्ता संरचनाओं में उनकी पहुँच अभी भी बाधित है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व में स्पष्ट अंतर देखा गया है, जो सामाजिक विषमता और संरचनात्मक भेदभाव की उपस्थिति को उजागर करता है। अध्ययन के दौरान कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए जहाँ महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य कार्य करते पाए गए, जिसे "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" कहा जाता है। यह प्रवृत्ति महिला सशक्तिकरण की मूल अवधारणा को क्षीण करती है।

हालाँकि कुछ क्षेत्रों में यह भी पाया गया कि जब महिलाओं को सामाजिक समर्थन, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, तब वे अपने पद का प्रभावी उपयोग कर सकीं और ग्राम विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाईं। ऐसे उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि महिला नेतृत्व की संभावनाएँ सशक्त हैं, बशर्ते उन्हें सक्षम और समर्थ बनाया जाए।

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि गया जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में निश्चित प्रगति हुई है, परंतु यह प्रगति अभी भी सतही है। सशक्तिकरण के वास्तविक अर्थों में महिलाएँ तब तक सशक्त नहीं मानी जा सकतीं जब तक उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्तता, संसाधनों की पहुँच और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त न हो।

5.2 सुझाव

1. **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था**: महिला प्रतिनिधियों को कार्यकाल के प्रारंभ में ही प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, और नेतृत्व कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

2. **स्थानीय संस्थागत सहयोग का विस्तार**: पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए अलग से परामर्श केंद्र एवं तकनीकी सहयोग इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो उन्हें योजनाओं को समझने और लागू करने में सहायता करें।

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com

3. **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की निगरानी**: पंचायतों में नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली लागू होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक प्रतिनिधि ही कार्य कर रही हैं।
4. **राजनीतिक दलों में महिलाओं को सक्रिय भूमिका देना**: केवल आरक्षण से आगे बढ़ते हुए, राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे महिलाओं को चुनावी टिकट, संगठनात्मक पदों और निर्णयात्मक निकायों में भागीदारी दें।
5. **सामाजिक जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता**: ग्रामीण समुदायों में महिला नेतृत्व की स्वीकृति बढ़ाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। पुरुषों और अन्य परिवारजनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है।
6. **पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विशेष समर्थन**: अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष मेंटरशिप, वित्तीय सहायता और सामुदायिक समर्थन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
7. **स्व-सहायता समूहों के साथ समन्वय**: महिला प्रतिनिधियों को स्व-सहायता समूहों, महिला संगठनों और NGO के साथ जोड़ने से उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. गोल्डन, अनीता. (2012). *राजनीतिक सशक्तिकरण में आरक्षण की भूमिका.* नई दिल्ली: सामाजिक अध्ययन प्रकाशन।
2. नंदा, विमला. (2014). *ग्रामीण महिला नेतृत्व और सामाजिक शिक्षा.* पटना: विमर्श प्रकाशन।
3. झा, पारुल. (2015). *बिहार की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की नेतृत्व शैली का अध्ययन.* भागलपुर: महिला अध्ययन केन्द्र, तिलका मांझी विश्वविद्यालय।
4. यादव, सविता. (2021). *उत्तर बिहार के छह जिलों में महिला नेतृत्व की सामाजिक स्थितियाँ.* दरभंगा: महिला सशक्तिकरण शोध संस्थान।
5. राज, अर्चना एवं शर्मा, अनीता. (2010). *भारत में पंचायतों में महिला भागीदारी: उत्तर व पूर्वी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन.* नई दिल्ली: नीतिशास्त्र अकादमी, खंड 3।

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com

6. भारत सरकार. (1992). *73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम.* नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार प्रेस।
7. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग. (2021). *पंचायत चुनाव आँकड़े रिपोर्ट (गया जिला)*। पटना: चुनाव संचालन प्रभाग।
8. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार. (2010–2021). *गया जिला पंचायती राज प्रशासन विवरणिका.* पटना: पंचायती राज निदेशालय।
9. जिला प्रशासन, गया. (2010–2021). *वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.* गया: जिला नियोजन एवं विकास कार्यालय।
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2021). *महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक सहभागिता पर रिपोर्ट.* नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, अनुभाग III, अध्याय 4।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2020). *पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और सहभागिता.* नई दिल्ली: ग्रामीण नीति एवं योजना विभाग।

Corresponding Author: puju.2016@gmail.com